

**अनुदान संख्या 79 - उप-राष्ट्रपति का सचिवालय**  
**GRANT No.79- SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व :</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	3,02,00		
		3,23,00	3,10,88	-12,12
पूरक	Supplementary	21,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			12,09

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹12.12 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹21.00 लाख के पूरक अनुदान का 58 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹12.12 lakhs) constituted 58 percent of the supplementary grant of ₹21.00 lakhs obtained in March, 2011 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2012"	Major Head "2012"			
राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/	President/Vice-President/			
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक	Governor/Administrator of Union Territories			
मू.	O.	302.00		
पू.	S.	21.00	310.91	310.88
पु.	R.	-12.09		-0.03

(I) “उप-राष्ट्रपति - सचिवालय - स्थापना” के अंतर्गत ₹294.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹21.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹315.50 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने, समयोपरि भत्ता, चिकित्सीय इलाज, घरेलू यात्रा व्यय के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹6.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under “Vice-President – Secretariat - Establishment” – the original provision of ₹294.50 lakhs was augmented to ₹315.50 by obtaining supplementary grant of ₹21.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6.22 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds under over time allowance, medical treatment, domestic travel expenses and economy measures.

---